ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:

प्रधान:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री अनंत राम	01-04-15 से 22-01-16
2	श्रीमति रेखा देवी	23-01-16 से 31.3.18

सचिव:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्रीमति सरला देवी	01.04.2015 से 31-08-16
2	श्रीमति मनीषा	01-09-2016 से 31.3.18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5.3	दो बैंक खातों में जमा राशि के लेखांकन के समर्थन में रोकड़ बही/संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:	0.28
2	5.4	निर्धारित सीमा से अधिक राशि का हस्तगत रखना	
3	7	अनुदान का उपयोग न करना।	31.00
4	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.14
5	9	संकर्मों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना	4.72
6	10	क्रय की गई सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना	1.32
7	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.76

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27-09-2018 से 01-10-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	02/2016	11/2015
2016-17	03/2017	01/2017
2017-18	03/2018	05/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न

होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.3.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7,200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-89 दिनांक 01/10/2018 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को के०सी०सी०बैंक भोरंज के माँग ड्राफ्ट संख्या: 585947 दिनांक 05-10-2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभा ग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गयाI

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(1) स्वस्त्रौत:

ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है: -

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015-16	56522	45971	102493	10111	92382
2016-17	92382	87905	180287	21727	158560
2017-18	158560	50927	209487	34113	175374

(2) अनुदान:

ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015-16	796355.00	2302217.00	3098572	2089588.00	1008984

2016-17	1008984	4120586.00	5129570	3290332.00	1839238
2017-18	1839238	7162119.60	9001357.6	5901666	3099691.6

(3) दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज के बैंक खातों में अन्तिम शेषों का विवरण: -

क्रम संख्या	बैंक	शीर्ष	बैंक खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB TARKWARI	GCB- A	20025056150	173562.00
2	KCCB TARKWARI	GCB-B	20025061104	968037.00
3	HPGB BHORANJ	SBM	88530100005802	635777.00
4	HPGB BHORANJ	RAY	88530100004122	1422.00
5	HPGB BHORANJ	IAY	88530100004113	2845.00
6	PNB BHARERI	14th	1180000102027604	1491610.60
	TOTAL BALANCE			**3273253.60**
	CASH IN HAND			1812.00
	G.TOTAL			**3275065.60**

5 बैंक समाधान विवरणी:

स्व स्त्रोत: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'क' का अंतिम शेष	175374.00
अनुदान: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'ख' का अंतिम शेष	3099691.60
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता **'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष**	**3275065.60**
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(3) के अनुसार खाता 'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष	**3273253.60**
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष	1812.00
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष सहित कुल बैंक शेष	**3275065.60**
अंतर की राशि	**00**

5.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना: -

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 में रोकड़ बही बनाने संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं। पंचायत द्वारा तैयार किए गए अभिलेख व रजिस्टरों में कुछ ओवर राइटिंग की गई थी, जबकि उक्त नियम प्रावधानानुसार अधिलेखन और

मिटाना सर्वथा निषिद्ध था। नियमानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख लिखी जानी अपेक्षित थी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा वह व्यय प्राधिकृत किया गया था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इन नियम प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी। इस प्रकार रोकड़ बहियों का निर्माण नियमानुसार नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: रोकड़ बहियों को नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इनका निर्माण तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 6 व 7 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 पंचायत निधि के लेखों को नियमानुसार तैयार न करना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाव हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) सहपठित नियम 4 के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया है। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त स्व: स्त्रोत आय को खाता-क व अनुदानों को खाता–ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

5.3 बैंक खातों में जमा ₹0.28 लाख से सम्बन्धित व अन्य रोकड़ बही अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था के नाम से निम्न विवरणानुसार दो बैंक खाते के० सी0 सी0 बैंक भोरंज में खोले गए है इनकी पास बुकों में कुल ₹28,185 जमा थी। इन पास बुकों से संबंधित खाते की कोई भी रोकड़ बही नहीं बनाई गई थी तथा यह खाते किस निधि से संबंधित है व खाते से संबंधित कोई अन्य जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस के कारण इन खातों में प्राप्त आय तथा इन खातों से किए गए व्यय की जांच नहीं की जा सकी। जोकि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए तथा अब इसकी जांच करके वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाए और रोकड़बही का निर्माण नियमानुसार किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Bank	Account No	Head	Amount
1	KCCB Bhoranj	20025054197	Not Known	5459 as on 31/8/18
2	KCCB Bhoranj	20025055941	Not Known	22726 as on 31/7/14
			Total	**₹28185**

5.4 निर्धारित सीमा से अधिक राशि का हस्तगत रखना:

पंचायत की सामान्य रोकड़ वही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्धारित सीमा ₹1000 से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जोकि {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: नियमों के विपरीत राशियों को हस्तगत रखने का तथ्यों तथा आंकड़ों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए l

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि जिससे इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष राशि उपलब्ध थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹31.00 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹30,99,692 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.14 लाख वसूली हेतु शेषः-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय से संबन्धित उपलब्ध अभिलेख/अंकेक्षण के दौरान प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को गृह कर के रूप में वसूली हेतु ₹14,190 शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः

राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

(1) गृह कर

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग(₹)**	**प्राप्ति(₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2015-16	22860	22860	45720	0	45720
2016-17	45720	22860	68580	68580	0
2017-18	0	25260	25260	11070	14190

9 ₹ 4.72 लाख के निर्माण कार्यों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण **परिशिष्ट "2"** की टिप्पणी-1 में दिये गए विवरणानुसार दर्शाये गये भुगतान ₹4,71,542 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप निर्माण कार्य वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुलनात्मक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 क्रय की गई ₹ 1.32 लाख की सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 से 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था l परन्तु पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के चयनित मासों के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "2"** की टिप्पणी-2 में दिये गए विवरणानुसार ₹1,32,312 की सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था और न ही नियम 72(2) की अनुपालना के समर्थन में कोई रिटर्न/संबन्धित रजिस्टर प्रस्तुत किया गया l इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि कार्यालय व्यय से संबन्धित क्रय सामग्रियों को स्टॉक में नहीं लिया जाता है। मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग/खपत की जाँच नहीं हो सकी। इन मदों के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा

सकता है। जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा तैयार व प्रस्तुत अभिलेख स्पष्ट व स्वत: अंतर्विष्ट नहीं था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: पंचायत/ विभागीय स्तर पर आवश्यक विस्तृत जांच उपरांत इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.76लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें (निविदायें, आपूर्ति आदेश,इंडेंट इत्यादि) प्रावधित है। **परिशिष्ट “2” की टिप्पणी-3** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹75,614** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है।

अतः स्टॉक स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना/तकनीकी स्वीकृति बिना ही व्यय करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की तकनीकी स्वीकृति मांगे जाने पर संबन्धित तकनीकी सहायक ने बताया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अतिरिक्त अन्य शीर्षों के अंतर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार नहीं किए जाते हैं और न ही इनकी तकनीकी स्वीकृति ली जाती है। पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अन्केखं को अवगत करवाया जाए ।

13 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की

समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

14 भुगतान आदेश के बिना बिल को पारित करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अधिकांश बिलों/ वाउचरों की अदायगियाँ बिना भुगतान आदेशों के ही की गईं थीं। जोकि उक्त नियम प्रावधानों की सरासर उलंघना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी संदायों/भुगतानों हेतु सभी बिल/वाउचरों पर नियमानुसार संयुक्त रूप में भुगतान आदेश रिकार्ड किये जाएँ तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए ।

15 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः आगामी अंकेक्षण के समय अनुदान के आदेशों की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाएI

16 बिल रजिस्टर का तैयार न करना:-

पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार संदायों के लिए सभी दावे प्ररूप 13 में बनाये जाने बाले रजिस्टर में प्रथमत: प्रविष्ट नहीं किये जा रहे हैं I अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18

द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: तुरंत प्रभाव से किसी भी प्राप्त बिल पर आगामी कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व उसकी प्रविष्टि प्रथमत: प्रारूप 13 में तैयार बिल रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाये।

17 **उपस्थिति नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित न करने बारे:**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के मस्ट्रोल संबंधी नियम 102 के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: उक्त वर्णित उपस्थिति नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित की जाए।

18 **माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-**

संकर्मो के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार परीक्षण जांच संचालित करने एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों   हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है यद्यपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही संकर्मों के निरीक्षण की अवस्था के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मूल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

20 **मैंटिनेंस ऑफ अकाउंटस**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 के अनुसार पंचायत सचिव का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि सभी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की ओर से धन प्राप्त करते हैं, ऐसी रीति से उचित लेखे बनाएँ और दें कि ब्यौरे साफ, स्पष्ट और स्वत: अंतर्विष्ट हों। अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित आपतियों के मध्यनजर लेखे तथा समर्थित अभिलेख और सही ढंग से रखे जाने अपेक्षित हैं। प्रस्तुत अभिलेखों की स्थिति से वर्तमान पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु   कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: भविष्य में लेखे ऐसी रीति से बनाएँ और दें कि ब्यौरे साफ, स्पष्ट और स्वत: अंतर्विष्ट/पारदर्शी हों। अधिलेखन, कटिंग व फ्लुइड

का प्रयोग न किया जाए तथा यदि अभिलेख में कोई शुद्धि करनी पड़ती है तो हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(4) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना सुनिश्चित करें।

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31,72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर	4 13 (5)	
2	विकास सकर्मों के निष्पादन का रजिस्टर 7 34		
	हि० प्र० पंचायती राज(सामान्य) नियम, 1997		
3	अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज		
(	सामान्य) नियम, 1997 8 34		
4	बिजली, पानी, टेलीफोन व डाक व्यय बिल रजिस्टर		
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10 33	, 77 (4)
6	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
7	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	25 72 (1)	
8	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों		
	का स्टाक रजिस्टर 26 72 (1)		ख
9	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर	27 72 (1) (	ग)
10	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी		
	आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)		
11	लिवरी आर्टिकल्स का वितरण रजिस्टर।		
12	गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।		
13.	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का		
	उचित रख-रखाव न करना। 102		
14	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर 101(2)(		v)
15	वर्गीकृत सार 8 29 (4)		

21 प्रत्यक्ष-सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के अन्तर्गत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में बिद्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :90 दिनांक 01-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति

स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 **लघु आपति विवरणिका:-**संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

23 **निष्कर्ष:-**संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)72/2018 खण्ड–1–8421–8424 दिनांक 22.12.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत टिकरी मिन्हासा, विकास खण्ड भोरन्ज, तहसील भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतरएक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046